International Journal of Advanced Academic Studies 2020; 2(2): 289-291

E-ISSN: 2706-8927
P-ISSN: 2706-8919
Impact Factor: RJIF 5.12
IJAAS 2020; 2(2): 289-291
Received: 22-01-2019
Accepted: 24-02-2019

मिहीर कुमार झा
पूर्व शोधार्थी, समाजशास्त्र विभाग,
ल. ना. मिथिला विश्वविद्यालय,
दरभंगा, बिहार, भारत

Corresponding Author:
मिहीर कुमार झा
पूर्व शोधार्थी, समाजशास्त्र विभाग,
ल. ना. मिथिला विश्वविद्यालय,
दरभंगा, बिहार, भारत

दहेज के विरूद्ध पुलिस की भूमिका

मिहीर कुमार झा

सारांश
हमारे समाज में जब कभी भी महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा या अपराधों की बात उठती है तो एक तस्वीर उभर कर आती है, घर में पति के हाथों पिटती हुई महिला या फिर दहेज के लिए जला दी गई औरत जोकि आजकल प्रतिदिन अखबारों में पढ़ने को मिलता है। लोग इन तस्वीरों को देखने के इतने आदी हो गए हैं कि उसकी कोई प्रतिक्रिया ही नहीं होती। सच्चाई यह है कि इन दो तस्वीरों के अलावा महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा के कितने ही अन्य और रूप हैं। ऐसा कहने का यह मतलब नहीं कि इन दो भयानक रूपों की गंभीरता किसी तरह से कम है बल्कि इसे पूरी समस्या के ओर छोर नापने की कोशिश करना है। हिंसा के इस पूरे वातावरण पर नजर डाले तो मालूम होता है कि महिलाएँ जन्म के पहले से ही हिंसा के दायरे में आ जाती हैं।

प्रस्तावना

प्राचीन काल से ही भारत में दहेज प्रथा का प्रचलन चला आ रहा है। हर माँ–बाप अपनी कन्या को ससुराल भेजते समय प्रेमवश अपनी सामर्थ्य के मुताबिक जो कुछ उपहार देते हैं, सही दहेज कहलाता है। यह उपहार कन्या को अपनी गृहस्थी के निर्माण के लिए दिया जाता है। इसे पिता कन्या की मंगल कामना के रूप में देते हैं। आज दहेज को मांग कर लिया जाता है और शर्तों के साथ वर–पक्ष कन्या के विवाह के लिए तैयार होता है। आज समाज इतना गिर गया है कि वह दहेज की मांग पूरी न होने पर लड़की को ससुराल में अनेक प्रकार की यातनाएँ देता है। कभी–कभी तो उसे जलाकर मार दिया जाता है और सबूत मिटाकर आत्महत्या दिखाकर बच निकलने की कोशिश की जाती है। बच्चे हों या पेट में गर्भ हो, उसे तलाक दे दिया जाता है। वे ऐसा करते वक्त भूल जाते हैं कि उनकी बहन कन्या भी किसी के घर बहू बनकर जायेगी। कभी–कभी तो तलाक का कारण होता है लड़कियों का पैदा होना। अब इनमें सिर्फ नारी कहाँ तक दोषी है? क्या पुरुष पर इसका दायित्व नहीं आता? पर पुरुष प्रधान देश में नारी ही दोषी मानी जाती है। कभी तो इस लालच में उसे मार दिया जाता है कि इसका दहेज तो खा लिया, अब दसरी शादी से दहेज लेना चहिए। इसमें सिर्फ पति ही नहीं, बल्कि सास की मुख्य भूमिका होती है। वही नारी जो ममतामयी माँ थी, सास बनते ही डायन का रूप कैसे धारण कर लेती है?

गर्भावस्था में कन्या है या लड़का, इसकी जाँच कराने में आज गरीब इन्सान भी अपने अजन्मे शिशु का लिंग परीक्षण कराने को आतुर रहते हैं, अगर कन्या है तो जन्म से पहले उसे गिरा दें। गाँव और कस्बों में इस प्रकार के पोस्टर लगाये जाते हैं। 500 तक देकर दहेज की परेशानी से बचें। इसके लिए जगह–जगह परीक्षण करने वाले क्लीनिक खुल गये हैं। उनका तो व्यापार हो गया। हाँ, प्राचीन काल में सुना जाता है कि कन्या के पैदा होने पर ठाकुर उसे मार देते थे।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली में भ्रूण की हत्या के मामलों का पता चला है जिन दम्पत्तियों को पता चला कि गर्भस्थ शिशु कन्या है तो उन्होंने ज्यादातर गर्भपात करवा दिया। अतः भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के आदेश से परीक्षण बन्द कर दिये गये। पता चला, ज्यादातर महिला का पति व ससुराल वाले उसका परीक्षण कराने पर जोर देते हैं। डॉ. कुलकर्णी ने अध्ययन में पाया कि भारत दुनिया में ऐसा देश है, जहाँ पुरुषों के मुकाबले महिलाएँ कम हैं। मेरे विचार से आज के समाज को देखते हुए यह ठीक ही है–वरना जो माँ–बाप कन्या को पाल–पोसकर, पढ़ा–लिखा कर दहेज के साथ कन्या को ससुराल भेजते हैं, वे कभी–कभी तो अपना मकान बेचते हैं या कर्जे के बोझ से भी दब जाते हैं, फिर भी ससुराल वालों की आये दिन की फरमाइशें आती रहती हैं। जिस कन्या को प्यार से पाला गया हो, वह उस नरक में जी रही होती है। बात–बात पर ताने और मार तक का सामना करना पड़ता है। जब नारी और नर में पूर्ण रूप से समानता नहीं होगी, कभी भी नारी सुखी नहीं होगी। आज परीक्षण वाले क्लीनिक गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, में भी खुल गये हैं। राजस्थान में जैसलमेर जिले में आज भी कन्या को पैदा होने पर मार डालते हैं।

इस आमानवीय कुप्रथा का सबसे बड़ा कारण दहेज है। जनवरी–मार्च में दिल्ली के जानकी दास अग्रवाल ने दहेज की चिंता से मुक्ति पाने के लिए अपनी तीनों बेटियों को अपने हाथों से पोटेशियम

साइनाइट जहर देकर मार डाला। राजस्थान के एक विधायक पर भी कन्या–वध का आरोप लगा था। इन घटनाओं से यह तो साबित हो गया कि माँ–बाप भी दहेज का भार नहीं सहन कर सकते। जाने कितने नाम अंगुली पर हैं, पर उन्हें याद करने से क्या फायदा । भारत में दहेज के कारण 1977 में 858 के करीब हत्याएँ हुईं, और फिर बढ़कर 1056 हो गई। कानपुर में धर्मपुर क्षेत्र में वर्ष 1982 में 108 के करीब मृत्यु संदिग्धावस्था में हुई, जिनकी उम्र 22 वर्ष के अन्दर थी। इसी तरह भारत की राजधानी दिल्ली में दहेज के कारण रोज तीन हत्याएँ नव वधुओं की होती हैं।

आत्म हत्याएँ

भारत में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियाँ अधिक आत्महत्या करती हैं। विधवा निषेध, गरीबी और दहेज प्रथा इसके मूल कारण हैं। लड़कियाँ अपने माँ–बाप पर बोझ हैं। तब वह आत्महत्या का कदम उठाती हैं। गजरात में विवाहित स्त्रियों की आत्महत्याओं की संख्या सर्वाधिक है। गुजरात में 48.2 प्रतिशत, आंध्रप्रदेश में 43.71, हरियाणा में 40.9 प्रतिशत, महाराष्ट्र में 41.2 प्रतिशत, बंगाल में 50 प्रतिशत ने जहर खाकर आत्महत्या की। इनमें अविवाहित और विवाहित स्त्रियों द्वारा आत्महत्या करने का ठोस कारण दहेज जैसी कुप्रथा ही है।

दहेज प्रतिरोध के प्रति पुलिस का कर्तव्य

पुलिस का कर्तव्य है कि वह सही बात का पता लगाकर दोषी लोगों को सजा दिलाये तथा मृतक कन्या पुलिस की पूरी हमदर्दी कन्या पक्ष में होनी चाहिए। माता पिता को अपनी कन्या की मौत पर हत्या का जरा भी संदेह हो तो उनसे रिपोर्ट लेकर पुलिस को उस पर तुरन्त कार्रवाही करनी चाहिए। लड़कियाँ घर में स्टोव, गैस, से रोज खाना बनाती हैं, पर ससुराल में ही क्यों जलती हैं? ससुराल पक्ष वाले पुलिस को कभी सच्ची सूचनाएं नहीं देते। पुलिस का काम है। अपराध की तह तक पहुँचकर असली अपराधी को ढूंढ निकालना और उसे सख से सख सजा दिलवाना। शोध 'दहेज प्रतिशोध अधिनियम' के अनुसार दहेज लेना और देना अपराध है। दहेज प्रतिशोध संशोधन अधिनियम 1984, 2 अक्टूबर 1985 से लागू हुआ है। अब उपहारों की सूची रखना दोनों पक्षों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है।

प्रतिभा रानी बनाम सूरज कुमार के मामले में सुप्रीम कोर्ट के 12 मार्च 1984 के फैसले में शादी टूटने के बाद पति से दहेज वापिस लेना पत्नी के लिए अब आसान बन गया है। विवाह के सात वर्ष के भीतर संदिग्ध अवस्था में मरने वाली हर स्त्री का पोस्टमार्टम करवाया जाना जरूरी हो गया है और मामले की जांच मजिस्ट्रेट द्वारा होने लगी है।

छानबीन कैसे करें

1. मरने की सूचना मिलते ही पुलिस तुरन्त पहुँचकर उस स्थान को अपने कब्जे में करे।
2. अगर महिला घायल है तो पुलिस उसे तुरन्त अस्पताल ले जाकर उपचार कराये। अगर मृत्यु हो तो लाश को अपने कब्जे में लेना चाहिए।
3. घटनास्थल व लाश का कई दिशाओं से फोटो लेना चाहिए।
4. छानबीन के दौरान उस स्थान पर रखे सभी सामान को, जिससे सबूत इकट्ठा हो, अपने कब्जे में लेना चाहिए।
5. मृतक का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड या कम से कम दो डॉक्टरों से करवाना चाहिए।
6. मरने वाली सूचना दाह–संस्कार से पहले उनके पीहर वालों को देनी चाहिए, ताकि उन्हें किसी प्रकार की शिकायत न हो।
7. पीहर वालों को अपनी लडकी की मत्य पर सन्देह हो और वह इस पर प्रमाण देना चाहे तो लेकर उनकी रिपोर्ट पर छानबीन करनी चाहिए।
8. अगर फिंगर प्रिन्ट्स की जरूरत हो तो जरूर लेने चाहिए।
9. मृतक के पड़ोसियों से भी उसके परिवार व पति के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए।
10. लाश का अत्यन्त सक्ष्मता से मआइना करना चाहिए–कहीं पर चोटें, गले पर निशान आदि हो सकते हैं।
11. गवाहों द्वारा बयान बदलने का शक हो तो 164 द. प्र. से बयान मजिस्ट्रेट के सामने करवाना चाहिए।
12. दहेज को लेकर प्रायः षड्यन्त्रपूर्वक हत्याएँ की जाती हैं। अपराधी सबूत मिटाने की पूरी कोशिश करता है।

अपराधी सबूत मिटाने में अगर सफल हो गया तो सजा से बच जता है। कोशिश पकड़ी जाय तो 209 भा. द. स. की धारा जोड़नी चाहिए। मृत्यु गृह–कल तो उत्तरदायी व्यक्ति का चालान 306 भा. द. स. में होना चाहिए। अगर ससुराल वालों ने प्लान बनाकर मारा है तो 120 भा. द. स. की. धारा लागू करनी चाहिए।

महिलाओं का पुलिस के हर क्षेत्र में प्रवेश

1. उत्तरी जिला 2. उत्तर–पश्चिमी जिला 3. केन्द्रीय जिला 4. दक्षिण जिला 5. दक्षिणी–पश्चिमी जिला 6. नई–दिल्ली जिला 7. पूर्वी जिला 8. उत्तर–पूर्वी जिला 9. पश्चिमी जिला 10. यातायात 11. विशेष विभाग शाखा 12. विशेष बुलावा आतंकवाद विरोधी शाखा 13. रेलवे और अपराध 14. महिला अपराध शाखा 15. सुरक्षा शाखा 16. एफ.आर.आर.ओ. 17. राष्ट्रपति भवन 18. पुरानी पुलिस लाइन 19. पुलिस पशिक्षण केन्द्र 20. इन्द्रा गांधी एयर पोर्ट 21. दिल्ली सैनिक पुलिस तृतीय वाहिनी 22. केम्यूनिकेशन 23. 100 नम्बर कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ महिला पुलिस का प्रवेश न हो।

आजादी के बाद हमारे देश की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन आया है। धर्म, संयुक्त परिवार, जाति, प्रथा, परम्परा आदि के प्रभाव व दबाव में कमी आने के कारण जन–सामान्य के नैतिक मूल्य व परम्पराएं भी बदल गए। विकास के कारण समाज की परिस्थितियां बदलने से पुलिस की भूमिका जटिल और कठिन हुई है। पुलिस को उसकी परिवर्तित भूमिका तथा निर्वाह के तरीकों की जानकारी देने की जिम्मेदारी बुद्धिजीवी वर्ग और समाज–सुधारकों की है। आज के दौर में पुलिस को न तो जनता की दोस्त बनकर और न ही उसकी नकरात्मक सोच रखकर कार्य करना है। पुलिस का नियंत्रण जनता पर अत्यंत ही आवश्यक है। पुलिस का जनता पर नियंत्रण का तरीका स्नेहपूर्ण तथा मददगार होना चाहिए। जनता का विश्वास पुलिस पर इतना जरूर होना चाहिए कि वह कानून का निर्वाह करने में पुलिस को सहयोग करे तथा स्वयं अनुशासन में रहे। पुलिस के व्यवहार कुशल होने से अपराधी भी सुधर सकता है तथा बदतमीजी के कारण भला तथा सज्जन पुरुष भी अपराधी बन सकता है।

भारतीय समाज में अत्याचारों, हिंसा की शिकार निर्दोष महिलाओं तक की भी पारिवारिक एवं सामाजिक स्तर पर उपेक्षा की जाती है। महिला पुलिस, नारी संगठन आदि के जरिए इस प्रकार की महिलाओं का मनोबल थोड़ा बढ़ा है। पुलिस द्वारा किए गए त्याग तथा बलिदान पर उस समय पानी फिर जाता है जब कोई पुलिसकर्मी किसी महिला को जो सुरक्षा के लिए उसके पास आती है तथा पुलिसवालों की हवस की शिकार बन जाती है। कुछ पुलिसवालों के गलत आचरण के कारण जनता का विश्वास पुलिस विभाग पर से उठ जाता है। इस प्रकार के पुलिसवालों के लिए नैतिकता का प्रशिक्षण जरूरी है। इसमें रचनात्मक विकास होगा तथा पुलिस की जनता के बीच छवि सुधरेगी, संबंध अच्छे

होंगे और समाज साफ–सुथरा होगा और देश का सर्वांगीण विकास होगा।

निष्कर्ष

वास्तव में कानून से इस दहेज रूपी बीमारी का इलाज नहीं हो सकता। लड़कियों को दहेज लेने वाले से विवाह नहीं करना चाहिए। बेशक, सारा जीवन कुँवारी रहना पड़े। समाज में दहेज के विरुद्ध अभियान चलाना होगा। दहेज लेने वालों को समाज में प्रतिष्ठा नहीं मिलनी चाहिए। जो दहेज के खिलाफ हो, उनका सम्मान होना चाहिए। जब समाज के लोग इसमें योगदान देंगे, तभी दहेज रूपी कैंसर का इलाज होगा और समाज का स्वस्थ वातावरण होगा। परिवार शान्तिपूर्वक रहेंगे तो बच्चों पर भी अच्छा असर पड़ेगा।

संदर्भ

1. आशारानी वहोरा, भारतीय नारी दशा और दिशा, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नयी दिल्ली।
2. एम. एल. गुप्ता, डी. डी. शर्मा, भारतीय समाज एवं सामाजिक संस्थायें साहित्य भवन, आगरा।
3. डॉ. ओमराज सिंह, शहरी परिप्रेक्ष्य में महिला पुलिस की भूमिका, संस्कृति, नई दिल्ली।
4. डॉ. ओमराज सिंह, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में महिलाएँ, अरावली इंटरनेशनल, नई दिल्ली।
5. डॉ. ओमराज सिंह, अपराध, पुलिस तथा दलित, अरावली इंटरनेशनल, नई दिल्ली।
6. डी. एस. बघेल, अपराधशास्त्र, विवेक प्रकशन ए. जवाहर नगर, दिल्ली।
7. मीराई चैटर्जी, भारतीय महिला जन्म से 20 वर्ष तक।
8. भारत सरकार की जनगणना रिपोर्ट।